भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2346

दिनांक 09.03.2021/ 18 फाल्गुन, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

†2346. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2006 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समय से ही पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के राज्य-वार ऐसे कुल कितने अधिकारी हैं जिन्हें दंडित किया गया है; और

(घ) पुलिस को राजनीतिक दबाव से दूर रखने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं/उपाए किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, राज्यों के पुलिस बलों को सुसज्जित करने और उनका आधुनिकीकरण करने हेतु राज्यों के प्रयासों में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1969-70 से पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2017 से इस स्कीम को 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता' के रूप में संशोधित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को इंसास (आईएनएसएएस) राइफलों और ए.के. सीरीज राइफलों जैसे आधुनिक हथियार;

मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी), नाइट विजन डिवाइसों (एनवीडी), सीसीटीवी निगरानी प्रणाली तथा बॉडी वोर्न कैमरा प्रणालियों सहित सभी प्रकार के आसूचना उपकरण; आधुनिक संचार उपकरण और सुरक्षा/प्रशिक्षण/ फॉरेंसिक/साइबर अपराध/यातायात पुलिस व्यवस्था हेतु अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, विद्रोह प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 'निर्माण' तथा 'ऑपरेशनल वाहनों की खरीद' की अनुमति है।

(ग): "अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करने की वजह से दंडित किए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों" से संबंधित आंकड़े केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले 02 वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान कदाचार के लिए भारतीय पुलिस सेवा के दस अधिकारियों को दंडित किया गया है।

(घ): अपने पुलिस बलों का सक्षम कार्यकरण सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है। लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित पुलिस सुधार करने हेतु केंद्र भी राज्यों को एडवाइजरी जारी करता है। इसके अलावा, वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों से संबंधित प्रकाश सिंह मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सात दिशानिर्देश दिए गए थे। इन दिशानिर्देशों में सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिए बिना पुलिस महानिदेशक के लिए कम से कम दो वर्षों का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करना, ऑपरेशनल ड्यूटी वाले पुलिस अधिकारियों के लिए दो वर्षों का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करना तथा अन्य बातों के साथ-साथ उप-पुलिस अधीक्षक और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों के लिए राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्डों का गठन करना शामिल है। इन दिशानिर्देशों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

*****